

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रीमती जीतादेवी

बनाम

पुम शर्मा

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 212/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/05/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>जीतादेवी या 10 लेख कुशा 20 बिलिया</u></p> <p>विरुद्ध श्री <u>कै. माशरफ, शि. मुन्ना, स. नारायण 510 लेख कुशा</u></p> <p>निवासी- <u>बिलिया</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>बिलिया (पुंछ नगरी)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>475/1464</u></p> <p><u>0.6300</u></p> <p><u>475 मी. 477</u></p> <p><u>0.1400</u> <u>0.4900</u></p> <p>कुल कीता <u>142=03</u> कुल रकबा <u>1.2600</u> है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>बिलिया (पुंछ नगरी तह. बिलिया)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>475/1464</u> <u>475 मी. 477</u></p> <p><u>0.6300</u> <u>0.1400</u> <u>0.4900</u></p> <p>कुल कीता <u>142=03</u> रकबा <u>1.2600</u> है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500=00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार पाच सौ रूप</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>B</u> (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>